उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-6/525/एक-1-2017-1(41)/2016

लखनऊ: दिनाँक: 19 मई, 2017

अधिसूचना

जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या-475/पांच भू0व्य0-पुनर्ग्रहण-2016, दिनांक 28.12.2016 द्वारा राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु ग्राम किशुनदासपुर, परगना दरियाबाद, तहसील सिरौलीगौसपुर, जनपद बाराबंकी स्थित भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5(3)ग पशुचर के नाम दर्ज गाटा संख्या 162 रकबा 0.146 हे0 भूमि को ग्राम किशुनदासपुर, परगना दरियाबाद, तहसील सिरौलीगौसपुर, जनपद बाराबंकी स्थित श्रेणी 5-3(ड़) गाटा संख्या 30 मि0 रकबा 0.146 हे0 बंजर खाते की भूमि को पशुचर खाते के रूप में श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. जिलाधिकारी, बाराबंकी के प्रस्ताव/संस्तुति के आलोक में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम किशुनदासपुर, परगना दरियाबाद, तहसील सिरौलीगौसपुर, जनपद बाराबंकी स्थित पशुचर खाते की भूमि गाटा संख्या 162 रकबा 0.146 हे0 श्रेणी 5(3) ग, का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहण किये जाने एवं धारा 101 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय किये जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के व्यापक जनहित के दृष्टिगत पशुचर खाते की भूमि का श्रेणी परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में किया जा रहा है।

(2) माध्यमिक शिक्षा विभाग सेवारत विभाग की श्रेणी में है। अत: पशुचर भूमि का श्रेणी परिवर्तन एवं पुनर्ग्रहण नि:शुल्क किया जा रहा है।

(3) गाटा संख्या 162 रकबा 0.146 हे0 श्रेणी 5(3) ग पशुचर खाते की भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहण किये जाने तथा ग्राम किशुनदासपुर, परगना दरियाबाद, तहसील सिरौलीगौसपुर, जनपद बाराबंकी स्थित गाटा संख्या श्रेणी 5-3(ड़) गाटा संख्या 30 मि0 रकबा 0.146 हे0 बंजर खाते की भूमि का उपयोगिता के आधार पर विनिमय कर पशुचर दर्ज किया जायेगा।

(4) लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. कलेक्टर, बाराबंकी द्वारा इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पटट पर,

shasanadesh.up.nic.in

-2-

तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायेंगे तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

4. उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कलेक्टर, बाराबंकी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-525(1)/एक-1-2017-1(41)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ।
4. कलेक्टर, बाराबंकी ।
5. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, 96, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए 15 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। **(पंजीक़त डाक से)**
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव।

shasanadesh.up.nic.in